केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा प्रिषद. शिक्षा केन्द्र-2, समुदाय केन्द्र प्रीत विहार. नई दिल्ली। दिनोंक /27- 59 (2008-09) जेवर संख्या 1161. इम्पीरियल इन्टरनेशनल स्कूल नगीना बुन्दकी रोड ग्राम शाहजहाँपुर (घोसीपुर) जजीवाबाद विजनीर को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापित्त प्रमाण पत्र दिया जाना। उपर्युक्त विषय की और आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये अवगत कराना है कि इम्पीरियल इन्टरनेशनल स्कूल, नगीना बुन्दकी रोड, ग्राम शाहजहाँपुर (घोसीपुरा) नजीबाबाद विजनीर को सीठवीठएसठईठ नई दिल्ली से सम्बद्धता हत अनापति प्रमाण पत्र दिये जाने में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है -विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समया-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा। विद्यालय की प्रवंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक संदर्भ होगा। विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति जनजाति के मेघावी बच्चों के लिए सूरक्षित रहेंगे और उनसे ज्जप्रवमाध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा। संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता सेंट्रल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एज्केशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदेशत मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा। संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता ग्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्नचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायंगे। कर्मचारियों की सेवा शर्त बनायी ज़ायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्नचरियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाम उपलब्ध कराये जायेंगे। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था छनका पालन करेगी। विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपन्न पंजिकाओं में रखा जायेगा राज्य सरकार एवं सीठबीठएसठई०, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार भूमे, भवन एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता, सम्बद्धता से पूर्व संस्था द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। उक्त विद्यालय का संबालन अनापत्ति प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत मू अभिलेखों में उल्लिखित ग्राम शाहजहाँपुर, प्रमाना य तहसील नजीबाबाद, जिला विजनीर में रिथत खाता संख्या 00021 माटा संख्या 648 क्षेत्रफल 127,40 हैं। में से क्षेत्रफल 1,0140 हैं। (उपहार पत्र के आधार पर) भूमि में निर्मित नवन व भूमि पर ही किया जायेगा, भूमि का प्रयोग अन्य किसी प्रयोजन हेतु करने तथा विद्यालय को अन्यत्र संचालित करने पर यह अन पत्ति खतः समाप्त समझी जायेगी। उक्त शर्तो में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्दन नहीं किया जायेगा। उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय ग्रह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या हाथिलता वस्ती जाती है. तो राज्य सरकारे द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा। भवदीय (शिव शंकर सिंह) आयुवत संख्या एवं दिनांक : उक्त। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेष्टित :--प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, माध्यमिक शिक्षा विभाग,लखनऊ। शिक्षा निदेशक (मा०), उत्तर प्रदेश, लखनज। निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उ०प्र०, लखनक। जिलाधिकारी बिजनीर। मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, गुरादाबाद। जिला विद्यालय निरीक्षक, बिज़नौर। प्रबंधक, इम्पीरियल इन्टरनेशनल स्कूल, नगीना बुन्दकी रोड, ग्रांम शाहजहाँपुर (घोंसीपुरा) नजीवाबाद, विजनीर। शिव शकर सिंह

विषय :--

महोदय.

10-

11-

PRINCIPAL Imperial International School Najibabad (Bijnor)